



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 44 अंक 15 Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in> 15 सितम्बर, 2021 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

विस्तृत विज्ञापन

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(83)RSSB/अर्थना/ग्राम वि.अ./सीधी भर्ती/2021/986

दिनांक : 6.09.2021

विज्ञापन सं. 04/2021

--: ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती - 2021 ::-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	ग्राम विकास अधिकारी	3222	674	3896

चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन :- आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों का प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से भरें। पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिये ऑनलाइन आवेदन में जिलों का प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से भरें। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के बाद पदस्थापन के लिये जिला आवंटन उनकी वरियता (Merit) एवं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरें, बाद में इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा रिक्त पदों के अनुसार अंतिम चयन सूची ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करवाई जायेगी। अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन विभाग द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता (Merit Cum Preference) के अनुसार किया जायेगा। जिन आवेदकों द्वारा जिलों के प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा तय की जायेगी।

विशेष नोट :-

- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेगा। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेगा। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

(क्रमशः)

- महिला, मृतपुत्र सैनिकों, उत्कृष्ट विद्यार्थी एवं विशेष योग्यताओं के लिए आरक्षित पदों का आसन्न क्षैतिज (Horizontal) से होगा।
- शिक्षण जारी होने के उपरान्त विद्यार्थी पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आसन्न संबंधी प्रारंभिकों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम निर्णयों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष सूचना-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपर्युक्त अर्थात् उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पर्याप्ततः तीन वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् एसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। यदि किसी वर्ग में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे वर्गों को इस उप-निर्णय के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-निर्णय के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पर अध्यापित सेक्टर के अनुसार पदों के आसन्न को प्रभावित नहीं करेगा और सेक्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, व्यापारिता, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकता है जिन्होंने अपने रिक्त पदों पर पर्याप्ततः वर्षों में उपलब्ध हो।

2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आसन्न क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अर्थव्यवस्था का आसन्न उस संबंधित प्रवर्ग में किसी वे महिला आवेदक है, अनुसूचित रूप से समर्थित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- किसी वर्ग/अनुसूचित पद/सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को पात्र एवं उपर्युक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उरती वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विद्यार्थी महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, पिता स्वयं एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नौन श्रेणीनेतर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पिता का नाम या आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मध्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों पर पात्र एवं उपर्युक्त 8 प्रतिशत पर विद्यार्थी एवं 2 प्रतिशत परियोजना (विद्यार्थी विद्यार्थी महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विद्यार्थी के लिये आरक्षित पद को उरती श्रेणी की परियोजना (विद्यार्थी-विद्यार्थी महिला) से भरा जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परियोजना अर्थात् उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उरती श्रेणी की विद्यार्थी महिला से भरा जाएगा। यदि विद्यार्थी एवं परियोजना दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उरती श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। विद्यार्थी आवेदक होने की स्थिति में स्वयं प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परियोजना महिला (विद्यार्थी विद्यार्थी महिला) को विद्यार्थी का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परियोजना महिला (विद्यार्थी विद्यार्थी महिला) को विद्यार्थी विद्यार्थी का प्रमाण/व्यावहारिक आदेश इसी वर्ग में आवेदन करने की अतिरिक्त पति से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

5. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एच 2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नौन श्रेणीनेतर) को 05 प्रतिशत आसन्न देय है।

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एच 7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आसन्न देय है।

7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिसर दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध बयान हेतु आरक्षित वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने मुद्रक के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य प्रमाण का नाम नहीं उठाया है।

8. राजस्थान राज्य से निम्न वर्गों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्थव्यवस्था को सामान्य वर्ग का नाम जायेगा।

9. बांग जिले की सहरीया जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांग जिले में सहरीया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक ए.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आसन्न का लाभ देय होगा।

10. मृतपुत्र सैनिकों हेतु- (क) मृतपुत्र सैनिकों के आरक्षित पदों को मृतपुत्र सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) मृतपुत्र सैनिक -
 (1) प्रक्रिया (व्य, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवानिवृत्त के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवानिवृत्त में दर्शाया गया हो।
 (2) प्रक्रिया सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

मृतपुत्र सैनिकों को आसन्न प्राथमिकता सिद्ध सेवा (मृतपुत्र सैनिकों का अग्रणीत) नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार मृतपुत्र सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पर आरक्षित है। मृतपुत्र सैनिकों के पदों का आसन्न क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अग्रणीत समर्थित किया जाएगा। उपर्युक्त मृतपुत्र सैनिकों की अनुसूच्यता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकता है। मृतपुत्र सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एच 5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 5(18)डीओपी/7-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "मृतपुत्र सैनिक" के संदर्भ में व्यक्तित्व जो राज्य में रहे हुए है, से व्यक्तित्व जो राजस्थान का मूल निवासी है, अग्रणीत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी मृतपुत्र सैनिकों को ही मृतपुत्र सैनिक वर्ग का लाभ देया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा अर्थात् करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-बीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने स्वयं प्राधिकारी से निरवधि प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पर के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु परप्रमाण से पूर्व उसे समुचित निवृत्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मृतपुत्र सैनिक निरवधि प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और आवश्यक सेवानिवृत्ति से पूर्व धयनित हो जाता/जाती है तो निवृत्ति प्राधिकारी परप्रमाण कार्यालय को विहित कर सकता और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-बीतर पर प्रमाण करने के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

"यदि किसी पद के लिए प्रायोगिक परीक्षा अर्हक करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निर्दिष्ट किये गये हों, तो पात्र प्रयोगिक या मृतपुत्र सैनिक की अनुसूच्यता की दशा में और पात्र प्रयोगिक अथवा सुसंगत सेवा नियमों में क्या स्थिति, जो भी उच्चतम हो, का प्रित्येकीकरण मृतपुत्र सैनिकों को देया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश मृतपुत्र सैनिक कार्यक्षम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अग्रणीत वर्ग में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्ययगत (Lapse) हो जायेगी।

11. उत्कृष्ट विद्यार्थी के पदों हेतु- उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आसन्न राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.531(DO/P.A-114 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट विद्यार्थी हेतु आरक्षित पदों का आसन्न क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अग्रणीत समर्थित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसे रिक्त पदों पर पर्याप्ततः वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट विद्यार्थी श्रेणी में केवल वे ही अर्थव्यवस्था आवेदन करने को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 5(18)डीओपी/7-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे बयान किया रखा हो। इनसे निम्न योग्यता रखने वाले अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट विद्यार्थी के लिये आरक्षित पदों पर बयान पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्बन्धी प्रावधान - कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच 5(18)डीओपी/7-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट विद्यार्थी" से ऐसे विद्यार्थी अर्हक है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने -

- उच्चतम स्तर की स्तंभ संख्या 2 में उत्तीर्णित अनारंभिकीय खंड संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उत्तीर्णित खंड संस्था के किसी अनारंभिकीय टूरनमेंट / वीर्यनिर्देश में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,

क्र.सं.	अनारंभिकीय खंड संस्था	टूरनमेंट / वीर्यनिर्देश का नाम
1	अनारंभिकीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलंपिक गेम्स/श्रीलंका/कोलंबो
2	एशिया ओलंपिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैक गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	सउदूरप्रदेश खंड परिषद (सी.जी.एफ.)	सउदूरप्रदेश गेम्स
5	अनारंभिकीय ओलंपिक समिति से संबद्ध अनारंभिकीय खंड परिषद	विश्व कप/ विश्व वीर्यनिर्देश
6	एशिया ओलंपिक परिषद के संबद्ध एशियन खंड परिषद	एशियन वीर्यनिर्देश
7	अनारंभिकीय स्कूल खंड परिषद (आई.एस.एस.एफ.)	अनारंभिकीय स्कूल गेम्स/ वीर्यनिर्देश
8	एशियन स्कूल खंड परिषद (एस.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/ वीर्यनिर्देश

या
 2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या
 3. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूरनमेंट / वीर्यनिर्देश में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूथिनिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या
 5. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन/पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल वीर्यनिर्देश/पैरा नेशनल वीर्यनिर्देश या नेशनल गेम्स/नेशनल गेम्स में व्यक्ति: या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोट- कृपया उत्कृष्ट विद्यार्थी श्रेणी वे ही अर्थव्यवस्था आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर कृपया योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट विद्यार्थी श्रेणी अर्हक की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्कृष्ट विद्यार्थी को खंड प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अतिरिक्त पति से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

12. विशेष योग्यता (निश्चालन) के लिये :-

- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यता को ही आसन्न का लाभ देय है :-
 - B/LV (Blindness/ Low vision)
 - Hi/Hearing Impairment)
 - LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
 - Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
 - Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities.

6. उपरोक्त दसों पर विशेष योग्यता के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपर्युक्त अर्थव्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्तियों को अग्रणीत किया जाएगा।

7. विशेष योग्यता आवेदक On line application form में क्यास्वयं अपने वर्ग एवं विशेष योग्यता की श्रेणी विशेष का अर्थव्यवस्था उल्लेख करें।

8. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यता की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यता के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार स्थापित सरकार द्वारा निर्धारित विकिरण प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी विशेष योग्यता प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निरक्षरता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मॉडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निश्चालन (विशेष योग्यता) का प्रमाण पत्र को 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यता होने पर ही अर्थव्यवस्था को विशेष योग्यता हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

9. विशेष योग्यता अर्थव्यवस्था को उपरोक्त कॉलम 4 (12)(b) में वर्णित विकिरणता का प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अतिरिक्त पति से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के लिए विशेष निर्देश :-

- अनुसूचित क्षेत्र के उच्च शिक्षा पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अर्थव्यवस्था से ऐसे व्यक्ति अर्हक है जो अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी है और जो स्वयं या, यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अर्न्तगत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाद द्वारा संश्लेषित है और वह अपने विवाद के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का स्थानीय निवासी है।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आसन्न की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एच.13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का बयान राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान नगरपालिका (अधिनियम एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम, 1963 सेवा संबंधित के प्रावधान लागू होंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संबंधित अधिसूचना संख्या एच. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक(क-2) विभाग में अपने परिसर क्रमांक ए.13(20) कार्मिक/क-2/81/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विद्यार्थी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (संबंध की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विद्यार्थी (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिभाषित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अधिनियम आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट-अनुसूचित क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के लिए वेतनमान, पात्रता एवं रक्षाधिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशा, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा करने एवं अधिनियम आवेदन करने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, निवृत्ति की अपेक्षाएं, प्रमाण-पत्रों के स्थापना, अनुसूचित सम्बन्धी की उपलब्ध एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्क्रीन संबंधी प्रावधान पर-अनुसूचित क्षेत्र के समान व्यवहार लागू होंगे।

6. वेतनमान- राज्य सरकार द्वारा देय तात्कालिक वेतन आयोग के अनुसार सामान्य का वेतनमान पर निश्चित लेवल-8 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक निवृत्त पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य बातें :-
 (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षार्थी प्रशिक्ष (Trainee) को परीक्षा की अर्हक के दौरान मासिक निवृत्त पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संतत किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निवृत्त की जाये।

(पृष्ठ 5 का शेष)

(2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन पर निश्चय परिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा मूकान किचार्ज भत्ता, मंगवाई भत्ता, हाथी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे व त्यागपत्र का पात्र होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि

या
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट-I (ABC) का प्रमाण पत्र तथा

(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणमार्गवी बी.ओ.ई.सी.टी. द्वारा संवाहित 'ऑ' या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र।

एन.आई.ई.एल.आई.टी. नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संरक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

या
व्यवसायिक प्रशिक्षण स्क्रीन की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.आई.प्रो.स.)/ डाटा प्रोसेसिंग और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रो.क.से.) प्रमाणपत्र।

या
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।

या
देख में से किसी मान्यता प्राप्त त्र्ययमिक शिक्षा बोर्ड से, एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकेंडरी प्रमाण पत्र।

या
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और ऑपेराटिविकी में डिप्लोमा।

या
बर्कमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणमार्गवी संवाहित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र प्राप्त करना। (रा.सू.प्र.प्र.पत्र.)

(iii) देयनगरी सिविल में किसी डिग्री में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
आवश्यक नोट-परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में क्या उल्लिखित पद के लिए अर्हता शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एवं की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा /रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे-

1. जहां बचन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व,

2. जहां बचन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व

3. जहां बचन केवल लिखित परीक्षा या व्याख्यानिकी, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व

सम्बन्धित बचन एग्जेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतर्गत कर लेने का समूह प्रस्तुत करना होगा।

सम्बन्धित- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तर्गत एवं में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

नोट-संगणक मर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णता 40 प्रतिशत निर्धारित है।

अन्य योग्यताएँ :-

- (1) स्वास्थ्य- संगणक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए एवं वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि संगणक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह बचपन में ही मर चुका है तो उसे इसके लिये अपना आयोग प्राप्त पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यक यह निवास करता है।
- (2) बर्तन - सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का बर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह संगणक के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। इस संबंध में का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे सातदारवाहक व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

8. राष्ट्रीयता -

- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) नेपाल का प्रवासास हो, या
 - (ग) मूलतः का प्रवासास हो, या
 - (घ) ऐसा किसी रणमार्गी जो दिनांक 1-1-42 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
 - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया है, पूर्णतः पूर्ण अर्हता की देश कीनिया, युगान्डा और सूडान (उत्तरीय) मंगोलिया (मनुचूर) टंगानिका (जोर्जिया), अल्बानिया, मातवी, जेर और इथियोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
- नोट-परन्तु हाथ बंद है कि वे (क),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रायियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयु- संगणक - आवेदक 1, जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु जिस मर्ती एवं विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु वह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।

सम्बन्धित- संगणक मर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018-2019 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकांश आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जायेगी।

उत्कलन आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट दिना प्रकाश देय होगी-

- 1. अधिकतम आयु सीमा में -
- (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 2. भूतपूर्व सैनिकों को दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौखिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- 3. इस भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो अपनी दोषविहीन से पूर्व अधिकतम आयु सीमा थी और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारवाय की कारवायों के बराबर की अर्हता की छूट दी जायेगी।
- 4. इस सेवा के किसी पद पर अर्थात् नियुक्त व्यक्ति अगर प्राथमिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे निगम के समझ आधारी परिस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्राथमिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अक्षर दिए जायेंगे।
- 5. निगम में कार्यरत नगरपालिका एवं श्रम श्रेणी कर्मचारियों के लिये उनके लिये इन नियमों के अनुरात अर्हता पदों के लिये ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- 6. आयोजन के कार्य-क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उक्त व्यक्तियों की, विनाकी रिक्ति के अभाव में या पद की समाप्ति के कारण राज्य सरकार की सेवा से छूटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बर्ती कि वे उन पद पर, दिन पर से उनकी

प्रधान छूटनी की गयी थी, प्राथमिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के समय विहित माध्यमों की सम्यक रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, धारित, विश्वविद्यालय आयोग आदि से संबंधित समस्त अर्हताओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छूटनी विभागतय या उच्चतर के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्रायिकता द्वारा दिया गया अर्हता सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

- 7. बर्न और शीलका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात् पूर्ण अर्हता की देश कीनिया, टंगानिका, युगान्डा और जंजीबार से संरक्षणाधीन व्यक्तियों के मामले में उपर्युक्त उपाय आयु सीमा को 45 वर्ष तक स्थित किया जायेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और स्थित किया जायेगा।
- 8. रिटायर्ड इमारतेंनी कमीशन/सोर्ट सॉरिस कमीशन सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इन पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद निगम के समझ परिस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जायेगा।
- 9. पूर्ण अर्हता की देश कीनिया, टंगानिका, युगान्डा और जंजीबार से संरक्षणाधीन व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- 10. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवात कर्मचारी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेंट अर्थात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
- 11. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से स्थानांतरित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
- 12. विश्वयुद्ध और विश्व-विधि-निर्हताओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई संविधानित उपाय से उसकी आयु कम हो।
- सम्बन्धित- विदाय महिला के मामले में उसे किसी समझ प्रायिकता का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विश्व-विधि-निर्हता के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 13. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवात कर्मचारी, पंचथाय रक्षिणी तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिदायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- 14. रिजर्वेटेड अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित स्था कर्मिकों और भूतपूर्व सेना कर्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कर्मिकों हेतु अधिदाय सेवा के आरंभित पदों के संबंध में राजस्थान स्थित सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का अमेरल) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रांति/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशिष्ट योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक स्थित करने योग्य होगी। भूतपूर्व सेनिकों के लिये आयु में रिवाज के प्राधान्य कर्मिक निगम की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कर्मिक/क-2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।

नोट-

- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जायेगी यदि वह बॉर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अनिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकतम आयु सीमा में छूट का समय पर उक्त आवेदन पत्र अर्हतापूर्व कर दिया जायेगा।
- (ख) आयु सीमा छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान सांख्यिकी अधिनियम सेवा नियम-1971 एवं समन्वय पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिषद एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त दिवस 9 की क.सं. 1 से 14 पर निर्मित आयु सीमा में छूट के प्राधान्य "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 14 में निर्मित किसी भी एक प्राधान्य का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राधान्यों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. अंशदायी पेंशन-ये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयन- शासन के परिषद क्रमांक प.6(16) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिषद के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र या सेवा वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि-

ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निष्पत्ति ई-निर्भर कियेक, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)- नई दिल्ली, ए.टी.एन. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करायाकर दिनांक 08.09.2021 से दिनांक 07.10.2021 को 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरने का समवेत है (दुबको उपरत लिखित निर्देश हो जायेंगे)। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया उक्त दिनांक से शुरू होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अनिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक- संगणक के पदों की मर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संवाहित माह दिसम्बर 2021 को आयोजित परीक्षा केन्द्रों पर कनबाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञापित के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनातिष्ठ प्रमाण पत्र के संबंध में -रामी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उद्यमों में नियुक्त है, उन्हें अपने निवेदा को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1)किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो प्रथमित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकाय संसुट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आदेश है।
- (2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकाय संसुट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आदेश है।
- (3)कोई भी विशालित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दूसरी स्त्री का साथ किया हो।
- (4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निर्वाहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।
- परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रवास से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्तर्फी प्रवास से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं बच्चा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को, जो पूर्वतर प्रवास से पैदा हुई हो और निरुक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसने राजस्थान कर्मचारी बचन बोर्ड में छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताता) करने या कांठ-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बचान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयास करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनिमित्त या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतिषेधी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी बचन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अर्हता तक के लिए बाधित (Debarred)कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निगम शब्दों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (श्रीमतीलेयर एवं श्रीमतीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।
कुल ध्यान दे-
1. आवेदकों को हियदाय दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बॉर्ड के विज्ञान एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र मरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जायेंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञान के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलेज में सही-सही एवं पूर्ण तरी में हो। समस्त प्रथिष्ठिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की विधि में बॉर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अर्थात् प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(क्रमशः)

